बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 8/कृ0नि0यो0वि0–25/2017 /कृ0, पटना, दिनांक ,2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **कृषि रोड मैप के अधीन राज्य योजना कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वयन हेतु 16000.00 लाख रूपये (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

कृषि रोड मैप के अधीन राज्य योजना कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वयन हेतु 16000.00 लाख रूपये (एक अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2.. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–8 के अनुसार यह राज्य क्षेत्र की चालू स्कीम है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत योजना (राज्य योजना 2017–18/विभागीय राज्यादेश संख्या 3509 दिनांक 04.09.2017) के अनुसार किया जायेगा। इस योजना के घटक एवं अनुदान दर में किसी भी तरह का परिवर्त्तन नहीं किया गया है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि सब्सिडी के रूप में सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को विमुक्त की जायेगी। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सम्बंधित लाभुक किसानों के सूची के आधार पर अनुदान राशि को कोषागार से आहरण कर लाभुक किसान के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) प्रोग्राम के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

4. राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुणवतायुक्त आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। दिनांक 05.02.2016 को आहुत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में फोल्डिंग सिंचाई पाईप के सम्बंध में लिये गये निर्णय के आलोक में BIS/ISI द्वारा निर्धारित पारामीटर के अनुसार परिक्षीत एवं प्रमाणित HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes के निर्माता द्वारा निर्मित पाईप को ही वित्तीय वर्ष 2016–17 से अनुदानित योजना में शामिल किया गया था, जिसे 2017–18 में भी कार्यान्वित किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी जारी रखा जायेगा।

5. भारत सरकार कृषि सहकारिता, एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 1–6/2013–OS(TMOP), voll-II दिनांक 22.01.2016 द्वारा NMOOP योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप के अनुदान दर में संशोधन किया गया है। पूर्व में HDPE सिंचाई पाईप पर अनुदान 25 रू0 प्रति मी0 की दर से 600 मीटर लम्बाई तक ही एक किसान को अधिकतम 15000 हजार रू0 मात्र अनुदान देने का प्रावधान था, लेकिन भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में HDPE सिंचाई पाईप का अनुदान दर 50/– रूपया प्रति मीटर एवं HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes पर 20/–रूपये प्रति मी0 का अनुदान दर निर्धारित किया गया है। यह

संशोधन दर भारत सरकार द्वारा 01 अप्रील 2016 से लागू किया गया है। इसके लिए Lay Flat Tubes के अधिकतम 100 मीटर का एक Unit होगा, जिसपर लाभार्थी को अनुदान देय होगा। इस कार्यक्रम के तहत सिंचाई स्रोत से खेतो तक पानी ले जाने हेतु किसानों को अनुदानित दर पर वितरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त दर ही मान्य होंगे।

6. कृषि यांत्रिकरण योजना में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मेकेनाईजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन लेने, आवेदन जाँच करने, किसानों को स्वीकृति पत्र निर्गत करने तथा अनुदान भुगतान की व्यवस्था वर्ष 2014–15 से प्रारंभ की गई है। मेकेनाईजेशन सॉफ्टवेयर को किसानो के हित में वर्ष 2018–19 में भी अपडेट करते हुए लागू किया जायेगा। प्रत्येक पाँच वर्ष पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता का आकलन किसी स्वतंत्र एजेन्सी का चयन कर कराया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि में से जिलों को पंचायत की संख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जायेगा। जिलों में विभिन्न यंत्रों को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से वर्ष 2018–19 में पम्पसेट एवं एच0डी0ई0पी0 लेमीनेटेड वोभेन ले फ्लैट ट्यूब का जिलावार लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित किया गया है। शेष यंत्रों को मांग आधारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में Performance Indicator में तीन कृषि यंत्र क्रमशः कम्बाईन हार्वेस्टर, पावर टीलर एवं जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील को रखा गया है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा शेष यंत्रों का जिलावार वित्तीय लक्ष्य से सम्बंधित विवरणी अनुसूची–1 तथा अनुदान दर से सम्बंधित विवरणी अनुसूची–2 संलग्न है।

8. वित्तीय वर्ष 2015–16 में यांत्रिकरण मेला के अतिरिक्त मेला के बाहर भी कृषि यंत्रों का क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी लागू रहेगा। अनुदानित योजना में शामिल होने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित/प्रमाणित एवं कृषि विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑन लाईन स्वीकृति पत्र निर्गत करने के पश्चात् ही कृषि यांत्रिकरण मेला अथवा मेला के बाहर कृषक अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसान द्वारा यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान दावा संबंधित किसान द्वारा जिला कृषि कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावा पत्र के आलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर अनुदान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान 15 दिनों के अन्दर किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जायेगा ताकि कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी हासिल हो सके। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता/किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3509 दिनांक 04.09.2017 के कंडिका संख्या 10 के आलोक में विभागीय पत्रांक 6654 दिनांक 07.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अन्तर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान समाप्त कर दिया गया।

10. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

11. वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि अनुदान के रूप में प्रशासी विभाग द्वारा सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी सम्बंधित लाभुक किसानों के सूची के आधार पर अनुदान राशि को कोषागार से आहरण कर लाभुक किसान के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) प्रोग्राम के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है उनका बैंक खाता खोलवाना अनिवार्य है। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना को राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला (एग्रो बिहार), प्रोग्रामर का मानदेय भुगतान एवं प्रशासनिक मद की राशि हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

12. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा [redacted] प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।

13. वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–113–कृषि इंजीनियरींग–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0105–प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401001130105, विषय शीर्ष 0105.33.01 सब्सिडी	13280.00	13280.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0120–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401007890120, विषय शीर्ष 0120.33.01 सब्सिडी	2560.00	2560.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0143–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401007960143, विषय शीर्ष 0143.33.01 सब्सिडी	160.00	160.00
कुल	**16000.00**	**16000.00**

14. उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय कृषि मंत्री का संचिका सं0–8/कृ0नि0यो0वि0–25/17 के पृष्ठ सं0 22/टि0 पर दिनांक 03.03.2018 को अनुमोदन प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 8/कृ0नि0यो0वि0–25/17 के पृष्ठ संख्या– 42/टि0 पर दिनांक 13.04.2018 को प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग की डायरी संख्या 82 दिनांक 13.04.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.4.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8/कृ0नि0यो0वि0–25/17 2380 /कृ0, पटना, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/कृ0नि0यो0वि0–25/17 2380 /कृ0, पटना, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–8 / कृ0नि0यो0वि0–25 / 17 2380 /कृ0, पटना, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–8 / कृ0नि0यो0वि0–25 / 17 2380 /कृ0, पटना, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–8 / कृ0नि0यो0वि0–25 / 17 2380 /कृ0, पटना, दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन / प्रभारी पदाधिकारी, नमूप कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (कृषि अभि0)–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, यांत्रिकरण / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, बजट एवं योजना शाखा सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना कृषि विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अनुलग्नक सहित अपलोड करने एवं सभी सम्बंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

26.4.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।